न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 630 / 2025
अनवान : –

1. शांति पत्नी भादर जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर हाल निवासी ऐलनाबाद हरियाणा।

– **वादीया**

बनाम्

1. विनोद पुत्र भादर जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर हाल आबाद ऐलनाबाद हरियाणा।
2. कुलवन्त पुत्र भादर जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर हाल आबाद ऐलनाबाद हरियाणा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 249 / 246 की कुल 22. 6440 हैक्ट भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि भादर पुत्र नानक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र नानक के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है भादर पुत्र नानक का देहान्त हो चुका है एवं भादर पुत्र नानक के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 जो की वादीया के पुत्र उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया अकेली काबिज है। इसी अनुसार वादीया न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण भादर आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण ज़िरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र नानक के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है भादर पुत्र नानक का देहान्त हो चुका है एवं भादर पुत्र नानक के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 जो की वादीया के पुत्र उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया अकेली काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 249/246 की कुल 22.6440 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि भादर पुत्र नानक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र नानक के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है भादर पुत्र नानक का देहान्त हो चुका है एवं भादर पुत्र नानक के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 जो की वादीया के पुत्र उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया अकेली काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा भादर के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071—74 के खाता स0 249/246 की कुल 22.6440 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि भादर पुत्र नानक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भादर पुत्र नानक का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 630 / 2025

अनवान : –

1. शांति पत्नी भादर जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर हाल निवासी ऐलनाबाद हरियाणा।

– वादीया

बनाम्

1. विनोद पुत्र भादर जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर हाल आबाद ऐलनाबाद हरियाणा।
2. कुलवन्त पुत्र भादर जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर हाल आबाद ऐलनाबाद हरियाणा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 630 सन 2025 निर्णय दिनांक 29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 249 / 246 की कुल 22.6440 हैक्ट भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि भादर पुत्र नानक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भादर पुत्र नानक का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर